

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी
(जिला योजना शाखा)

23

अति-अल्पकालीन निविदा सूचना

वर्ष 2017-18 में खूँटी जिला के पर्यटक स्थलों पर साफ-सफाई हेतु विभिन्न आकार के सामान्य एवं डिजाईनर डस्टबीन (Dustbin) आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित कम्पनी/आपूर्तिकर्ता से मुहरबंद निविदा आमंत्रित किया जाता है।

निविदा से संबंधित विवरण :-

- I. निविदा प्राप्त करने का स्थान - जिला योजना कार्यालय, खूँटी।
- II. निविदा प्राप्त करने की अवधि - 12.09.17 से 19.09.17 तक
- III. निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय - 19.09.17 को 12.00 बजे अप0 तक
- IV. निविदा खोलने की तिथि - 19.09.17 को 2.00 बजे अप0
- V. निविदा खोलने का स्थान - उप विकास आयुक्त, खूँटी का कार्यालय कक्ष
- VI. निविदा की अन्य शर्तें सगाहरणालय, खूँटी के वेबसाईट- <http://khunti.nic.in> पर डाउनलोड किया जा सकता है अथवा जिला योजना कार्यालय, खूँटी के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

1/3
01/09/17

115
06.09.17

1/3
उपायुक्त,
खूँटी।

1. निविदादाता दो खण्ड में सीलबंद प्रस्ताव देंगे :-
(क) तकनीकी प्रस्ताव :- (i) विक्रीकर निबंधन/GST संख्या प्रमाण-पत्र (ii) पैन नम्बर (iii) ISO Certified Company (iv) अग्रधन के रूप में दस हजार का बैंक ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, खूँटी के पदनाम से भुगतये होगा। (v) कार्य अनुभव की छाया प्रति (vi) वार्षिक न्यूनतम पच्चीस लाख रुपये का Turnover संबंधी प्रमाण-पत्र (vii) काली सूची में नहीं होने संबंधी नोटरी पब्लिक का शपथ प्रमाण-पत्र।
(ख) वित्तीय प्रस्ताव :- विभिन्न आकार के डस्टबीन का दर, Brand के नाम, Specification के अनुसार अलग-अलग देते हुए अधिष्ठापन सहित कुल राशि अंकित करना होगा, जिसमें परिवहन एवं हथालन व्यय, GST की राशि इत्यादि सन्नहित होनी चाहिए।
2. निविदादाता उपरोक्त सामग्री को बनाने वाली प्रतिष्ठित कम्पनी/अधिकृत विक्रेता होनी चाहिए।
3. निविदादाता सभी तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव के सभी काराजात को स्वहस्ताक्षरित करेंगे।
4. निविदादाता को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. सफल निविदादाता को आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर आपूर्ति करना होगा तथा खूँटी जिला के विभिन्न पर्यटक स्थलों में अधिष्ठापित करना होगा।
6. निर्धारित तिथि एवं समयोपरान्त प्राप्त अथवा खुली निविदा विचारणीय नहीं होगी।
7. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी एवं बिना कारण बताए सभी निविदाओं या किसी निविदा विशेष को रद्द करने का अधिकार जिला क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

1/3
01/09/17

115
06.09.17

1/3
उपायुक्त,
खूँटी।